

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

‘ ‘ कल कोरोना-3^७ अ भयान के तहत 8 स्थानों पर को वड सहायता केन्द्र का संचालन

रतलाम 07 मई। शासन निर्देशानुसार को वड-19 के परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए ७ कल कोरोना-3^७ अ भयान के तहत रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र में 8 स्थानों पर को वड सहायता केन्द्र का संचालन किया गया है जिसमें नगर निगम अधिकारी/कर्मचारीए मे डकल ऑफसरए आंगनवाड़ी सुपरवाइजरए स्टॉफ नर्सए एएनएमए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई है।

७ कल कोरोना-3^७ अ भयान के तहत वार्ड क्रमांक 33ए 34ए 35ए 36 व 31 हेतु टीआईटी रोड डस्पेंसरीए वार्ड क्रमांक 30ए 31 व 32 हेतु जावरा रोड प्राथमिक स्कूल डी मार्ट रोडए वार्ड क्रमांक 27ए 28 व 29 हेतु दिलीप नगर डस्पेंसरीए वार्ड क्रमांक 20ए 21ए 22ए 23ए 24ए 25ए 44 व 45 हेतु मोती नगर प्राथमिक स्कूलए वार्ड क्रमांक 26ए 37ए 38ए 39ए 40ए 41ए 42 व 43 हेतु हा कम वाड़ा डस्पेंसरीए वार्ड क्रमांक 15ए 16ए 17ए 18ए 19ए 46ए 47ए 48 व 49 हेतु सुभाष नगर कम्युनिटी हॉलए वार्ड क्रमांक 1ए 2ए 3ए 4ए 5ए 6ए 7 व 8 अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गणेश नगर व वार्ड क्रमांक 9ए 10ए 11ए 12ए 13 व 14 हेतु रेडक्रास भवन बिरियाखेड़ी मेन रोड पर को वड सहायता केन्द्र का संचालन किया गया है। उक्त केन्द्रों पर नियुक्त नगर निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसके अलावा को वड सहायता केन्द्र पर नियुक्त मे डकल ऑफसरए आंगनवाड़ी सुपरवाइजरए स्टॉफ नर्सए एएनएमए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेतु श्री नईम मोहम्मद खान प्रभारी ए.पी.एम. मो०नं० 9685330094 व श्री लोकेश वैष्णव प्रभारी बी.ई.ई. मो० नं० 7999606919 को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

को वड सहायता केन्द्र पर शीघ्रातिशीघ्र सर्दी/खांसी/स्पू के लक्षण वाले लोगों की प्राथमिक जांच एवं परामर्श दिया जायेगा गले में खराश/सांस

लेने में कठिनाई/बदन दर्द/ सर दर्द के साथ बुखार 38°C 100°F आदि लक्षण युक्त रोगियों का लक्षण आधारित उपचार व संभावित कोवड-19 रोगियों का निकटस्थ फीवर क्लिनिक पर रेफरल का कार्य किया जायेगा।

7 दिवस में किसी भी प्रकार बुखार तथा बुखार के साथ कोई अन्य लक्षण जैसे की बुखार के साथ सर्दी-खाँसीए सांस लेने में तकलीफए गले में खराशए कमजोरीए चक्करए दस्तए गंध अथवा स्वाद कम होने पर नागरिक अपने नजदीकी कोवड सहायता केन्द्र पर संपर्क करें।

होम आईसोलेशन मरीजों को मेडसन कट का वतरण

138 मरीजों को कया मेडसन कट का वतरण

रतलाम 07 मई। कोवड-19 संक्रमण में होम आईसोलेशन के मरीजों को मेडसन कट व स्वास्थ्य वभाग के निर्देशों की प्रति की होम डिलेवरी कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा वार्ड वार गठित दलों द्वारा मरीजों के घर जाकर मेडकल कट प्रदान की।

ई-दक्ष केन्द्र रतलाम से 07 मई शुक्रवार को होम आईसोलेशन के मरीजों की सूची स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह ने प्राप्त कर जिला अस्पताल के स्टोर से 173 मेडसन कट प्राप्त कर निगम के अग्निशमन वभाग में उपलब्ध कराई व कन्ट्रोल रूम से 1 मेडसन कट। अग्निशमन वभाग से वार्ड वार गठित दलों वतरण हेतु उपलब्ध कराई गई।

वार्ड वार गठित दलों द्वारा होम आईसोलेशन के मरीजों के घर-घर जाकर मेडकल कट का वतरण किया गया जिसके तहत सूची अनुसार 138 मरीजों को मेडकल कट का वतरण घर पर किया गया। 9 मरीज उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती होना पाया गयाए 8 मरीजों के कान्टेक्ट नम्बर व पते गलत पाये गये तथा 8 मरीज नगरीय सीमा क्षेत्र के बाहर से होना पाया गया व 10 मरीजों को पूर्व से ही मेडसन कट प्राप्त होना पाया गया।

नगर में प्रतिदिन किया जा रहा है सेनेटाईजेशन

नगर के व भन्न क्षेत्रों को फायर लॉरी से किया सेनेटाईज

रतलाम 07 मई। रतलाम नगर के नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने हेतु जिला कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिका निगम गोपालचन्द्र डाड के निर्देशानुसार निगम के व भन्न वाहनों के माध्यम से सो डयम हाईपोक्लोराईड से सेनेटराईज किया जा रहा है साथ ही माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्रों में भी हैण्ड मशीन से सेनेटाईजेशन किया जा रहा है।

नगर निगम द्वारा प्रतिदिन फायर लॉरी व ट्रेक्टर ट्रॉली से नगर के व भन्न क्षेत्रों की सड़कों गलियों भवन आदि को 1 प्रतिशत सो डयम हाईपोक्लोराईड मिलाकर 1 लाख लीटर से सेनेटराईज किया जा रहा है। 07 मई को फायर लॉरी व ट्रेक्टर ट्रॉली से मेडकल कॉलेज भक्तन की बावड़ी जवाहर नगर मुक्तिधाम राम बाग माली कुआं हरमाला रोड शांति नगर शुभ वहार कालोनी टीआईटी रोड सवक सेन्टर राम मंदिर सब्जी मण्डी देवरा देव नाराण नगर सहित नगर के व भन्न क्षेत्रों में सेनेटाईजेशन किया गया। इसके अलावा 14 व्यक्तियों की टीम द्वारा हैण्ड मशीन के माध्यम से मेडकल कॉलेज माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्र कलेक्टोरेट ई-दक्ष कार्यालय नगर निगम कार्यालय सहित शासकीय कार्यालयों आदि में सेनेटराईजेशन का कार्य किया गया। नगर के सेनेटराईज किये जाने के साथ ही स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में सफाई का कार्य किया जा रहा है व सफाई उपरान्त सफाई स्थल व गलियों में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

मेडकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाय निरंतर जारी

रतलाम 07 मई। शासकीय मेडकल कॉलेज में उपचारित कोवड-19 के मरीजों को कसी भी प्रकार से ऑक्सीजन की कमी ना हो इस हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक श्री गोपालचन्द्र डाड के निर्देशानुसार मालवा व

महावीर ऑक्सीजन से सलेण्डर मे डकल कॉलेज में पहुंचाने का कार्य प्रतिदिन निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है साथ ही इस कार्य में सतत निगरानी भी रखी जा रही है।

नगर निगम द्वारा ऑक्सीजन सलेण्डर सप्लाय के अलावा मे डकल कॉलेज के सुवधाघरों की सफाई के कार्य पर निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है इसके अलावा प्रतिदिन मे डकल कॉलेज में सेनेटाईजेशन के कार्य हेतु कर्मचारी नियुक्त किया गया है जो मे डकल कॉलेज के अंदर व बाहर सेनेटाईजेशन का कार्य संपादित कर रहे हैं।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 07 मई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर ए हैल्पर ए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर ए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर ए हैल्पर ए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर ए दुकान ए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर ए दुकान ए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालयों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा

जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है क वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे क उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा 809 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा रतलाम 07 मई । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों सड़को चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 07 मई तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 809 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 07 मई को दीनदयाल नगर से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानों सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम वपरित है ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों

का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राश वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राश रुपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह एं झोन प्रभारी श्री करण चौहान एं श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का वक्रय व उपयोग करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 07 मई। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले में नाले-नालयों में कचरा डालते हैं व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रय एं उपयोग व भण्डारण करते हैं उन पर जुर्माना कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में वराट मेहरा एं उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त किया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456 एं पवन झांझोट मो.नं. 7000128812 एं आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393 एं मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110 एं राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले में नाले-नालयों में कचरा डालते हैं व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रय एं उपयोग व भण्डारण करते हैं उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते हैं उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 07 मई । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं. व. हेमन्त/07ण05ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.